सविनय अवज्ञा आंदोलन : 1930–31 व 1932–34 ई.

साम्राज्य विरोधी संघर्ष में 1930–34 का सविनय अवज्ञा आंदोलन एक महत्वपूर्ण दौर को रेखांकित करता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दो चरणों में पूरा हुआ : प्रथम चरण—दांडी यात्रा से लेकर गाँधी-इर्विन पैक्ट तक (12 मार्च, 1930—5 मार्च, 1931) तथा द्वितीय चरण—द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद से लेकर कांग्रेस के पटना बैठक में आंदोलन की वापसी की औपचारिक घोषणा तक (3 मार्च,1932—मई,1934)।

प्रथम चरण (12 मार्च, 1930—5 मार्च, 1931 ई.) : कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन (दिसम्बर,1928) में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया था कि वह अगले वर्ष के अंत तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किये जाने वाले आंदोलन का सामना करे। कलकत्ता अधिवेशन में निर्धारित की गई एक वर्ष की समय सीमा सरकार का

Scanned with CamScanner

कोई निश्चित जवाब मिले बिना ही समाप्त हो गई। 29–31 दिसम्बर, 1929 ई. को लाहौर में कांग्रेस का 44वाँ वार्षिक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता *पं.जवाहर लाल नेहरू* ने की। इस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया और यह तय किया गया कि प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इस समय देश का राजनीतिक और आर्थिक वातावरण ठीक नहीं था। शासन का दमन-चक्र लोगों की नाराजगी का कारण था। लोगों में शासन के विरुद्ध घोर निराशा थी। ऐसी स्थिति में वर्ष 1930 ई. में कांग्रेस ने *गाँधीजी* को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान कर दी। 12 मार्च, 1930 ई. को *गाँधीजी* ने अपनी प्रसिद्ध दाण्डी यात्रा आरंभ कर इस आंदोलन का श्रीगणेश किया। वहाँ नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे—नमक बनाना, महिलाओं द्वारा शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना, अस्पृश्यता का त्याग, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार आदि। यह आंदोलन सारे देश में आरंभ हो गया। इसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सरकार का दमन-चक्र चलने लगा, फिर भी आंदोलन तीव्रता से जारी रहा।

द्वितीय चरण (3 मार्च, 1932 ई.— मई, 1934 ई.) : 5 मार्च, 1931 ई. को गाँधी-इर्विन समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। इसके बाद एक वर्ष तक विराम की स्थिति रही। पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जब गाँधीजी गिरफ्तार कर लिये गए, तब इस आंदोलन का द्वितीय चरण आरंभ हो गया जो कि मई, 1934 ई. तक चला।

झारखंड में आंदोलन की प्रगति

1930 ई. में आरंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कांग्रेस समिति कि 2 जनवरी, 1930 ई. की बैठक में प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। उस निश्चय के अनुसार झारखंड में भी 26 जनवरी,1930 ई. को नगर-नगर में पूर्ण स्वाधीनता दिवस अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाया गया। राँची में स्थानीय कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष *पी.सी.मित्र* के नेतृत्व में झण्डा फहराया गया और पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। हज़ारीबाग में *कृष्ण वल्लभ सहाय* ने भारी लाठी चार्ज के बीच कचहरी पर झण्डा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया। 12 मार्च, 1930 ई. को जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का विधिवत् आरंभ हुआ तो इस आंदोलन से पूरा झारखंड आंदोलित हो उठा। 6 अप्रैल,1930 ई. को *महात्मा गाँधी* ने दांडी में नमक कानून तोड़ा। 13 अप्रैल, 1930 ई. को झारखंड में 50 स्थानों पर नमक बनाया गया। सरकार चूल्हे तोड़ती, बर्तन उठा कर ले जाती, नेताओं को गिरफ्तार करती; पर नमक सत्याग्रह चलता रहा।

आंदोलन का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है—

राँची : झारखंड में राँची सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक अग्रणी केन्द्र था। यहाँ का 'तरुण संघ' ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में राँची, सिल्ली, गुमला, चुटिया, कुंडु, लोहरदगा एवं बेड़ो में कई सभाएँ हुईं। 8 अप्रैल, 1930 ई. को *नागरमल मोदी* की अध्यक्षता में एक सभा चुटिया में हुई जिसमें *पी.सी.मित्रा, देवकी नंदन लाल, अतुल चंद्र घोष, क्षितिज चंद्र बोस* एवं *आनंद मोहन लाहिरी* के भाषण हुए। 10 अप्रैल, 1930 ई. को खूंटी में सभा हुई जिसमें *पी.सी. मित्रा, विजय घोष* आदि के भाषण हुए। प्रायः 100 टाना भगतों एवं कांग्रेसियों ने जुलूस भी निकाला। 10 अप्रैल, 1930 ई. को राँची की सभा में 1000 से अधिक लोग शामिल हुए। उसी दिन हिनू में 100 बंगाली महिलाओं की सभा हुई। 15 अप्रैल, 1930 ई. को जिला स्कूल एवं संत स्कूल के छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया।

Scanned with CamScanner

16 अप्रैल, 1930 ई. को बुंडु में पूर्ण हड़ताल रही। 17 अप्रैल, 1930 ई. को सिल्ली में सभा हुई। 18 अप्रैल, 1930 ई. को कुंडु में सभा हुई जिसमें *सरस्वती देवी* एवं *मीरा देवी* के भाषण हुए। 3 मई, 1930 ई. को राँची बार एसोसिएशन की बैठक में खादी के उपयोग एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। 4 मई, 1930 ई. को मांडर के *महादेव स्वर्णकार* ने गिरफ्तारी दी। 12 मई, 1930 ई. को *पी.सी. मित्रा, नागरमल मोदी* एवं *देवकी नंदन लाल* भी गिरफ्तार कर लिये गए। 31 मई, 1930 ई. को *रवीन्द्र चंद्र* एवं *रामधनी दूबे* की गिरफ्तारी के बाद सभाओं व जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2 जून, 1940 ई. को 40 टाना भगतों ने राँची में जुलूस निकाला। उनमें से 8 को बंदी बना लिया गया। 20 जून, 1930 ई. को जामा मस्जिद में नमाजियों को पटना के *सैयद अली अहमद रिज़वी* ने संबोधित किया। जुलाई, 1930 ई. में भी कुछ लोग बंदी बनाये गए। सितम्बर, 1930 ई. में राँची में 'स्वदेशी सप्ताह' मनाया गया। 16 नवम्बर, 1930 ई. को 'जवाहर दिवस' मनाया गया।

3 मार्च, 1932 ई. को जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण आरंभ हुआ तो राँची के 'तरुण संघ' पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 23 जुलाई, 1932 ई. को कुछ टाना भगत झंडा के साथ कचहरी परिसर में घुस आए। 27 जुलाई, 1932 ई. को *नागरमल मोदी, ख्वाजा नासिरुद्दीन* एवं *बुलू साहु* को जेल भेज दिया गया। *जानकी साहु* की माता को भी एक वर्ष की सजा हुई। जानकी साहु के भाई *जुगल किशोर* को 6 मास सश्रम कारावास की सजा दी गई। वास्तव में इस साहु परिवार का स्वतंत्रता आंदोलन में व्यापक योगदान था। सर्वप्रथम *नन्द कुमार साहु* को, जो गॉस्सनर हाई स्कूल, राँची के छात्र थे, जगन्नाथपुर मेले के अवसर पर शराब की दुकानों पर टाना भगतों के साथ धरना देने पर इतनी मार पड़ी कि बरसों इलाज के बाद भी वे स्वस्थ न हो सके और उनकी मौत हो गई। अब पिता गिरधारी साहु को छोड़ परिवार के सभी लोग आंदोलन में कूद पड़े। माता *इंदिरा देवी* गोद की बच्ची सरस्वती के साथ दो वर्षों के लिए दो बार जेल गईं। *श्रीमती मोती साहु* को भी तीन बार जेल की सजा मिली। *जानकी प्रसाद, श्याम किशोर* एवं *युगल किशोर* को कई बार जेल जाना पड़ा। यह सिलसिला 1930 ई. से 1945 ई. तक चलता रहा। मांडर थाना के करकट गाँव के 3 टाना भगत जेल भेजे गये। मई, 1934 में जब *महात्मा गाँधी* यहाँ आये तो दो दिन रहे।

हज़ारीबाग : झारखंड में हज़ारीबाग सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख केन्द्र था। *कृष्ण वल्लभ सहाय* ने हज़ारीबाग के खजांची तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी। उन्हें एक वर्ष की सजा मिली। उनके अतिरिक्त हज़ारीबाग क्षेत्र में नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाले अन्य प्रमुख लोग थे—*मथुरा प्रसाद, सीताराम दुबे, चक्र सिंह, राधा गोविंद प्रसाद, सरस्वती देवी* एवं *मीरा देवी*। 1930 ई. के आरंभ में *बजरंग सहाय* एवं *सुखलाल सिंह* ने हजारीबाग में कई भाषण किये। परिणामस्वरूप दोनों व्यक्तियों को एक-एक साल की सजा हुई। चौकीदारी टैक्स का सर्वत्र विरोध हुआ। इस संबंध में इचाक, पबरा, धनवार, मांडु, कुजू, डुमरी व डोमचांच में सभायें हुईं। *सरस्वती देवी* (हज़ारीबाग जिला कांग्रेस कमिटी की अध्यक्षा), *मथुरा सिंह, चमन लाल, सीताराम दुबे, महादेव पाण्डेय, जय प्रकाश लाल* एवं *जे. एल. साव* को गिरफ्तार कर लिया गया और सबों को 6–6 महीने की सजा हुई। संत कोलम्बा कॉलेज के भौतिकी के प्राध्यापक की पुत्री *साधना* को भी जेल भेजा गया। 17 जून, 1930 ई. को 800 लोगों के जुलूस का नेतृत्व करने वाले *राधा गोविंद प्रसाद* तथा *चमन हज्जाम* को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में *राम प्रकाश लाल, नामधारी महतो, वेणी माधव सोनार, नंद लाल प्रसाद* एवं *शिव नंदन प्रसाद* गिरफ्तार किये गए। 2 जुलाई, 1930 ई. को *नंद किशोर प्रसाद* एवं *गोवर्धन लाल बाजपेयी* गिरफ्तार किये गए। कुछ दिनों बाद बिहार के *राजेन्द्र प्रसाद* हज़ारीबाग जेल लाये

Scanned with CamScanner

गये। 14 जुलाई, 1930 ई. को *मीरा देवी* जेल भेजी गयी। इस गिरफ्तारी के बाद *श्रीमती हसन इमाम* एवं *श्रीमती गौरी दास* सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में हज़ारीबाग पहुँचीं। सितम्बर, 1930 ई. के अंत तक हज़ारीबाग जिला के 137 लोगों को जेल भेजा जा चुका था।

3 मार्च, 1932 ई. को जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण आरंभ हुआ तो हज़ारीबाग में 6 मार्च, 1932 ई. को एक बड़ी सभा की गई। उद्देश्य था—पटना कैम्प जेल में हज़ारीबाग के *मोपना मांझी* एवं *केतन महतो* की मौत की निन्दा करना। उसी दिन बेरमो में एक सभा हुई जिसमें 700 लोग शामिल हुए। इस सभा में स्थानीय नेताओं—*मोहन तेली* एवं *देवानंद काची* ने भाषण किए। 7 मार्च, 1932 ई. को गिरिडीह में हुई सभा में 2,000 लोग मौजूद थे। 8 मार्च, 1932 को डुमरी में हुई सभा में 600 संथालों को *बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय* एवं *सरस्वती देवी* ने संबोधित किया। 9 मार्च, 1932 ई. को हज़ारीबाग के केशव हॉल में आम सभा हुई। इसमें 400 लोग शामिल हुए जिसमें अधिकांश छात्र थे। 8–9 जून, 1932 ई. को कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं की बैठक में 3,000 लोग उपस्थित हुए जिसमें आदिवासियों एवं महिलाओं की संख्या अच्छी-खासी थी। इस सभा में *कृष्ण वल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह* एवं *राधा गोविंद प्रसाद* को हज़ारीबाग की ओर से प्रांतीय कांग्रेस कमिटी के लिए सदस्य चुना गया। 11 अक्तूबर, 1932 ई. को गिरिडीह में खादी प्रदर्शनी लगाई गई। बिहार के *श्री कृष्ण सिंह* के सभापतित्व में 12 अक्तूबर, 1932 ई. को हज़ारीबाग के केशव हॉल में सभा हुई। उसी महीने चतरा में खादी मेला को लेकर सरकार एवं कांग्रेसियों में झड़प हुई। इस सिलसिले में *राज वल्लभ सिंह* सहित कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हज़ारीबाग के संथालों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। गोपिया थानान्तर्गत बोरोगेरा ग्राम निवास *बंगम मांझी* ने संथालों का नेतृत्व किया। उसने टाना भगतों की तरह स्वच्छता, मद्य निषेध एवं खादी पर जोर दिया। उसके अनुयायियों की संख्या हजारों में पहुँच गई थी। उसे *राम नारायण सिंह* एवं *कृष्ण वल्लभ सहाय* आदि कांग्रेसी नेताओं का समर्थन प्राप्त था। संथालों का आंदोलन इतना लोकप्रिय हुआ कि *सरदार पटेल* एवं *राजेन्द्र प्रसाद* जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं ने उनकी सभाओं में भाग लिया।

सिंहभूम : झारखंड में सिंहभूम सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। सिंहभूम क्षेत्र के जमशेदपुर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व *ननी गोपाल मुखर्जी* ने किया। उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। सिंहभूम में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होते ही 400 सिक्ख इसमें शामिल हो गए। आंदोलन में जमशेदपुर में रहने वाले पेशावरी लोग भी कूद पड़े। 6 अगस्त, 1930 ई. को चक्रधरपुर में कांग्रेसियों ने *हरिहर महतो, हरि सिंह* एवं *लालू बाबू* के नेतृत्व में जंगल के पेड़ काट कर अपना विरोध प्रकट किया। इन तीनों कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 16 नवम्बर, 1930 ई. में गोलमुरी मैदान में झंडा फहराकर 'जवाहर दिवस' मनाया गया। सभा स्थल में ही *जितेन्द्र प्रसाद, तारा प्रसन्न सिन्हा, कालिदास, सरोज कुमार तरफदार* एवं अन्य चालीस लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा शेष लोगों पर लाठी चार्ज कर उन्हें तितर-बितर कर दिया गया। किन्तु *के.पी. नैयर* एवं *अतुल चन्द्र* गुप्त जैसे नेता नहीं पकड़े जा सके। पुलिस ज्यादती के खिलाफ जमशेदपुर में पूर्ण हड़ताल रही। 19 नवम्बर, 1930 ई. को गोलमुरी में हुई सभा में 3,000 लोग उपस्थित हुए। *मुरलीधर पाण्डेय* ने पुलिस जुल्म की कड़ी आलोचना की तथा निन्दा प्रस्ताव पारित किया। *भगत सिंह, राजगुरु* व *सुखदेव* की फाँसी (23 मार्च, 1931 ई.) के विरोध में 25 मार्च, 1931 ई. को जमशेदपुर में हड़ताल रही तथा शाम को आम सभा हुई जिसमें 600 लोग शामिल हुए। सभा को *बाबू सिंह पंजाबी, चन्द्र मित्रा, एन. के. सेन, वी.आर. नायडू, हयात बख्श, तारा सिंह, टोला सिंह पंजाबी, आनंद चौधरी* आदि के भाषण हुए।

Scanned with CamScanner

3 मार्च, 1932 ई. को जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण आरंभ हुआ तो *महात्मा गाँधी, सरदार पटेल* आदि नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 5 जनवरी, 1932 ई. को गोलमुरी मैदान में सभा हुई जिसमें 500 लोग शामिल हुए जिनमें कुछ महिलायें भी थीं। सभा के समाप्त होते ही *परमेश्वर भट्ट सोली, भावेश्वर भट्ट सोली* एवं *के.पी. हाती* को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित एक परचा 24 जनवरी, 1932 ई. की रात में *जी. महंती* के घर से बरामद किया गया। उन्हें 4 अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। महंती को 6 महीने की सजा हुई और 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 26 जनवरी, 1932 ई. को गोलमुरी मैदान में झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस द्वारा अनेक लोग घायल किए गए और कुछ गिरफ्तार किये गए। साकची बाजार के उन दुकानदारों को भी प्रताड़ित किया गया जिन्होंने अपनी दुकानों पर कांग्रेसी झंडे फहराये थे। टाटा कम्पनी ने सरकार की खुशामद में *परमेश्वर भट्ट सोली, जे. एन. रथ, एच. पी. मैती* एवं कुछ अन्य कांग्रेसियों को नौकरी से निकाल दिया।

पलामू : झारखंड में पलामू सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख केन्द्र था। पलामू के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व *चंद्रिका प्रसाद वर्मा* एवं *सोनार सिंह खरवार* ने किया। उन्होंने चंदवा में एक सभा की, शिवपुर व कुम्मवा गाँव में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। *शत्रुघ्न प्रसाद* नामक एक वकील ने कलकत्ता में बने नमक को कचहरी परिसर में बाँट कर नमक कानून का उल्लंघन किया। 4 मई, 1930 ई. को दांडी से 3 मील दूर करादी शिविर में महात्मा गाँधी की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही डाल्टेनगंज एवं गढ़वा में 8 मई, 1930 ई. को हड़ताल की गई। *प्रमथ नाथ बनर्जी, नरेश बहादुर एवं द्वारिका प्रसाद* आदि ने विद्यार्थियों से आगे आने का आह्वान किया। गढ़वा के *गुलाब मिस्त्री, बिहारी लाल, सीताराम ठठेरा, जगन्नाथ साहु* तथा डाल्टेनगंज के *चंद्रिका प्रसाद, देवकी प्रसाद, नागेश्वर प्रसाद सिंह, ज्योति चंद्र सरकार* व *तुलसी तिवारी* ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाई। आखिरकार चंद्रिका प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 महीने की सजा दी गई। डाल्टेनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा चंदा के तौर पर एकत्रित मुठिया अन्न को जब्त कराने में ठाकुर *भोला नाथ सिंह* ने विशेष सरगर्मी दिखलाई। इस सेवा के बदले में सरकार ने उन्हें 'राय बहादुर' की उपाधि दी। *महेश लाल, राम वृक्ष मिश्र, हजारी लाल साव, ज्योतिष चंद्र सरकार, बिफई राम* एवं *हरिहर प्रसाद मुख्तार* ने 4 जनवरी, 1932 ई. को हमीदगंज में सभा की। इस सभा में *भान पाण्डेय, विश्वनाथ चटर्जी, मुरारी पाठक* एवं *नवल किशोर पाठक* 'यूथ लीग' में शामिल हुए। *ज्योतिष चंद्र सरकार* को गया (बिहार) जेल भेज दिया गया तथा जिला कांग्रेस कार्यालय पर पहरा लगा दिया गया। 6 जनवरी, 1932 ई. को कांग्रेसी स्वयंसेवकों के प्रमुख *हजारी साहु* को गिरफ्तार कर लिया गया। मंडरिया में किसान सभा (1930 ई. में गठित) के एक सदस्य *रंका* किसान आंदोलन चला रहे थे। मंडरिया के कांग्रेस प्रमुख *शिवचरण खरवार* को 21अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जून, 1932 ई. को *बंधन भुइयां* पकड़ा गया। सम्पूर्ण किसान आंदोलन का नेतृत्व *यदुवंश सहाय* ने किया।

संथाल परगना : झारखंड में संथाल परगना सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। संथाल परगना में *श्रीमती शैलबाला राय* के नेतृत्व में महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी। नमक सत्याग्रह को संथाल परगना में भी समर्थन मिला। इस सिलसिले में कई गिरफ्तारियाँ हुईं जिसमें संथाल नेता भी शामिल थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दोनों चरणों में संथाल परगना के लोगों ने सक्रियता दिखाई। संथाल परगना जिला के कांग्रेस नेता *शशि भूषण राय* ने सरवण, दखुसिया, सेवायजपुर, बभनगांवा और कुकराहा में सभायें कीं। अप्रैल, 1930 ई.

Scanned with CamScanner

के तीसरे सप्ताह में *शशि भूषण राय* आंदोलन के सिलसिले में मुंगेर (बिहार) गये और वहीं वे सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिये गए। 15 अप्रैल, 1930 ई. को मधुपुर सभा को *विनोदानंद झा* ने संबोधित किया। 21 अप्रैल, 1930 ई. को देवघर में *प्रभुदयाल हिम्मत सिंह* की अध्यक्षता में एक सभा हुई। मई, 1930 ई. में *प्रमथ नाथ डे* गिरफ्तार किये गए और उन्हें एक वर्ष कैद की सजा मिली। जून, 1930 ई. के अंतिम सप्ताह में *साधना देवी* को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद *अतुल चंद्र बनर्जी* एवं *शशिधर बनर्जी* गिरफ्तार किये गए।

लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर *गाँधीजी* ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को मई, 1934 ई. की पटना बैठक में वापस ले लिया। इसके बाद गाँधीजी कांग्रेस से अलग हो गए तथा अछूतोद्धार कार्यक्रम में पूरा समय देने लगे। आंदोलन की समाप्ति पर कांग्रेस का रुझान फिर से व्यवस्थापिकाओं की ओर हो गया। केन्द्रीय नेतृत्व का अनुसरण झारखंड के नेताओं ने किया।

Scanned with CamScanner